

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़

क्रमांक : एटीपी/2021-22/ 8727-30

दिनांक :- 29/3/22

सार्वजनिक सूचना

राजस्थान मॉडल भवन विनियम 2020 के अन्तर्गत नक्शा नवीसों का सत्र 2022-23 हेतु पंजीकरण किये जाने हैं तथा पूर्व में जारी पंजीकरणों का नवीनीकरण किया जाना है, यदि कोई है तो, जिस हेतु भवन विनियम 2020 के बिन्दु संख्या 19.2 के अनुसार अर्हताएं रखने वाले तकनीकीविद दिनांक 01 अप्रैल 2022 से नियमानुसार आवेदन पत्र मय दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अपना पंजीकरण नगर परिषद में करवा सकते हैं। बिना पंजीकरण करवाये नक्शा नवीस के नक्शे नगर परिषद द्वारा स्वीकृत/मान्य नहीं किये जायेंगे। पंजीकरण की प्रक्रिया मॉडल भवन विनियम 2020 के बिन्दु संख्या 19 के अध्याधीन रहेगी। सूचित रहें।


आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़

दिनांक :-

क्रमांक : एटीपी/2021-22/

प्रतिलिपी :-

1. विज्ञापन शाखा नगर परिषद चित्तौड़गढ़ को भेजकर सार्वजनिक सूचना को राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने बाबत।
2. वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
3. नगर परिषद नोटिस बोर्ड पर चर्या हेतु।


आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़